




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 496] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 1994/अग्रहायण 15, 1916
No. 496] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 1994/AGRAHAYANA 15, 1916

जलमूल्य परिवहन मंत्रालय

(पत्त पक्ष)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1994

सा.का.नि. 840(अ).—भूतपूर्व न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री इकबाल एम. काकूजी को काष्ठया पत्त के न्यासी बोर्ड में "अल्प हितों" का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल मूल्य परिवहन मंत्रालय (पत्त पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं. ना.का.नि. 359(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना में क्रमसंख्या 14 के सामने "श्री शैलेन्द्र सिंह डी. जडेजा" शब्दों के स्थान पर "श्री इकबाल एम. ककुजी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[एक.स. पी.टी.-18011/6/93-पी टी]

सी एम. खैरवाल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1994

G.S.R. 840(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Iqbal M. Kakuji as a Trustee representing 'Other Interests' on the Board of Trustees for the Port of Kandla and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G. S. R. 359(E) dated 31st March, 1994.

2. In the said notification against serial number 14, for the words "Shri Srailendrasinh D. Jadeja", the words "Shri Iqbal M. Kakuji" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/6/93-PT]

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.